चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/734
दिनांक : 10.05.2014

सम्बद्धता आदेश

. शासन के पत्र संख्या सम्ब0–111/सत्तर–2–2014–2(111)/2014, दिनांक 08.05.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन **एन0आई0एम0टी0 इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन, प्लांट नं0–41, नॉलेज पार्क–1, कासना रोड, ग्रेटर नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)** को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शिक्षकों का शपथ पत्र न होने, प्रबन्ध समिति अनुमोदित न होने, प्राभूत धनराशि की एफ0डी0आर0 का नवीनीकरण न होने, लीजडीड सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित न होने, भवन का मानचित्र सक्षम अधिकारी से प्रमाणित न होने तथा खतौनी तहसीलदार द्वारा प्रमाणित न होनेके दृष्टिगत **दिनांक 01.07.2014 से एक वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता** की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

01. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
02. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा–प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन0बी0सी0 प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।
03. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन–पाठन कराया जायेगा।
04. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एंव मानकों की पूर्णता एंव उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
05. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार **एन0आई0एम0टी0 इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन, प्लांट नं0–41, नॉलेज पार्क–1, कासना रोड, ग्रेटर नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)** को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन शिक्षकों का शपथ पत्र न होने,

D:\Mk\147

क्रमशः 2